

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल ग्वालियर

सेन्ट्रल नर्सरी, केप्टन रूप सिंह स्टेडियम के पास, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.)

Phone : 0751-2341166, Fax : 0751-2341166, E-Mail : dfotgwa@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./22/ 9723

ग्वालियर दिनांक/9/9/2022

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
ग्वालियर वृत्त ग्वालियर

विषय- ग्वालियर जिले में वेस्टर्न बायपास के निर्माण हेतु 42.83 हेक्टेयर वन भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर को उपयोग पर देने बाबत।

(Proposal No.: FP/MP/ROAD/149532/2021)

- संदर्भ- 1-भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक 6-एमपीआर/015/2022-बीएचओ दिनांक 22-06-2022
2-प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक /एफ-5/1121/2022/10-11/2215-16 दिनांक 23-06-2022
3-आवेदक विभाग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ग्वालियर का पत्र क्रमांक 20019/01/2018-वेस्टर्न बायपास/7713 दिनांक 12.09.2022

विषयांकित प्रकरण में निवेदन है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक /एफ-5/1121/2022/10-11/2215-16 दिनांक 23-06-2022 से उपर्युक्त प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से परिवेश पोर्टल पर ली गई आपत्ति के संबंध में आवेदक विभाग से भारत सरकार द्वारा ली गई आपत्ति का निराकरण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु उल्लेख किया गया। जिसके परिपेक्ष्य में आवेदक विभाग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ग्वालियर द्वारा पत्र क्रमांक 20019/01/2018-वेस्टर्न बायपास/7713 दिनांक 12.09.2022 से भारत सरकार द्वारा ली गई आपत्ति की बिन्दुवार पूर्ति कर परिवेश पोर्टल के माध्यम से आपत्तियों का निराकरण कर हार्डकॉपी इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है। जिसका बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है :-

वि.क्र.	भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी	की गई पूर्ति
1	Alternative alignment with comparative statement alongwith KML. file shall be submitted.	आवेदक विभाग द्वारा 3 विकल्प की जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड की गई है। छायाप्रति परिशिष्ट-A पर संलग्न है।
2	The proposed road is part of Ghatigaon Wild Life Sanctuary. Thus, NBWL clearance is required.	आवेदक विभाग द्वारा वन्यप्राणी अनुमति हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदन किया गया है जिसका प्रकरण क्रमांक FP/MP/ROAD/120435/2021 है।
3	Out of 86 ha. of CA land 6.00 ha. has MDF. The net suitable area for plantation is only 80.42 ha. This needs rectification.	प्रकरण में प्रभावित वन भूमि के बदले दुगने विगड़े वन क्षेत्र पर वृक्षारोपण हेतु चयन की गई भूमि वन प्रबंधन की दृष्टि से वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	As per covering letter and SIR, the CA land is 86.00 ha. but as per online Part-II the CA area is 85.66 ha. shall be clarified.	प्रकरण में ऑनलाईन पोर्टल के भाग-2 में कक्ष क्रमांक आर.एफ. 354 वृक्षारोपण का क्षेत्रफल 36.000 हेक्टेयर संशोधित किया गया है।
5	No objection certificates of concerned departments (Railway, WRD etc.) shall be submitted.	आवेदक विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसकी

		छायाप्रति परिशिष्ट-B पर संलग्न है।
6	Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan shall be submitted.	आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी परिशिष्ट-C पर संलग्न है।
7	Detailed muck disposal scheme shall be submitted.	आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी परिशिष्ट-D पर संलग्न है।
8	Justification for location of the project in forest land (countersigned by DFO) needs to be submitted and explanation needs to be provided that why RF cannot be avoided.	आवेदक विभाग द्वारा परियोजना को वन क्षेत्र में रखने हेतु स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है, जिसे अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रमाणित किया गया है। जिसकी छायाप्रति परिशिष्ट-E पर संलग्न है।
9	It is not clear from the proposal that what is before and what is after proposed alignment Details are required with KML file shall be submitted & uploaded on webportal.	आवेदक विभाग द्वारा संदर्भित पत्र से पूर्ति की गई है, छायाप्रति संलग्न है।
10	In the letter on NHA dated 29.12.2021 addressed to DFO, it is stated that project is of rehabilitation and up-gradation while the title of the project states that the proposal is for construction of road. This needs clarification.	आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी परिशिष्ट-F पर संलग्न है।
11	If the proposal is for rehabilitation and up-gradation then please indicate when the existing road was constructed if after 1980 and permission was not taken under FCA, then the proposal should include the area of existing road as well and in this scenario, action needs to be initiated in accordance with clause 1.21 of RCA guidelines.	आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी परिशिष्ट-F पर संलग्न है।
12	Administrative approval/sanction letter of the project needs to be provided. 13 cost Benefit ratio needs to be worked out and submitted.	आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी परिशिष्ट-G पर संलग्न है।
13	Cost Benefit ratio needs to be worked out and submitted.	आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी परिशिष्ट-H पर संलग्न है।

प्रकरण में आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी एवं कार्यालय स्तर से पूर्ति की जाकर प्रकरण हार्डकॉपी एवं परिवेश पोर्टल के माध्यम से वांछित जानकारी सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।
संलग्न-उपरोक्तानुसार

(ब्रिजेन्द्र श्रीवास्तव)
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल ग्वालियर
ग्वालियर दिनांक 19/9/2022

पृ. क्रमांक/मा.चि./22/9724
प्रतिलिपि-

- 1-प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर आपके पत्र क्रमांक /एफ-5/1121/2022/10-11/2215-16 दिनांक 23-06-2022 के संदर्भ में सूचनार्थ संप्रेषित।
- 2-आवेदक विभाग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ग्वालियर की ओर आपके पत्र क्रमांक 20019/01/2018-वेस्टर्न बायपास/7713 दिनांक 12.09.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल ग्वालियर



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

परियोजना कार्यान्वयन ईकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेन्दुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011

फोन/Fax/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com



क्र. 20019/01/2018-वेस्टर्न बायपास/7713

दिनांक: 12.09.2022

प्रति,

श्रीमान वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल, ग्वालियर
सेन्ट्रन नर्सरी, केप्टन रूप सिंह स्टेडियम के पास,
सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.)

विषय:- ग्वालियर जिले के अन्तर्गत वेस्टर्न बायपास मार्ग से प्रभावित वन भूमि (सो.चि. अभ्यारण के अंतर्गत रकवा 38.025 हेक्टेयर एवं परिक्षेत्र ग्वालियर के अंतर्गत रकवा 4.8 हेक्टेयर) कुल रकवा 42.83 हेक्टेयर के वन (संरक्षण) अधिनियम, 1960 के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर को उपयोग में देने हेतु प्राप्त प्रस्ताव की पूर्ती कर भेजने के संबंध में।

- संदर्भ:-** (1) प्रधान मुख्य संरक्षक (भू-प्रबंध), भोपाल का पत्र क्र. 2215 दिनांक 26.06.2022
(2) आपका पत्र क्रमांक मा.चि./22/7921 ग्वालियर दिनांक 18.07.2022
(3) डी.पी.आर सलहाकार का पत्र क्र. 5645 दिनांक 12.09.2022


उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 18.07.2022 के माध्यम से ग्वालियर जिले के अन्तर्गत वेस्टर्न बायपास मार्ग से प्रभावित वन भूमि (सो.चि. अभ्यारण के अंतर्गत रकवा 38.025 हेक्टेयर एवं परिक्षेत्र ग्वालियर के अंतर्गत रकवा 4.8 हेक्टेयर) कुल रकवा 42.83 हेक्टेयर के वन (संरक्षण) अधिनियम, 1960 के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर को उपयोग में देने हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 22.06.2022 के माध्यम से 13 बिन्दुओं पर चाही गई आख्या प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था।

2. जिसके तारतम्य में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 22.06.2022 के माध्यम से चाही गई बिन्दुवार (1-13) आख्या निम्नानुसार है:-

स. क्र.	बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	Alternative alignment with comparative statement alongwith KML file shall be submitted	Enclosed at Annexure-A
2	The proposed road is part of Ghatigaon Wildlife Sanctuary. Thus, NBWL clearance is required.	The proposal for wildlife clearance is already applied in Parivesh Portal vide FP/MP/ROAD/120435/2021.
3	Out of 86 Ha of CA land 60.42 ha has MDF. The net suitable area for plantation only 80.42 Hac needs rectification	May kindly be replied at the level of Forest Department.
4	As per covering letter and SIR, the CA land is 86.00 Ha but as per online Part-II the CA area is 85.66 ha shall be clarified.	
5	No objection certificates of concerned departments (Railway, WRD etc.) shall be submitted.	Enclosed at Annexure-B
6	Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan shall be submitted.	Enclosed at Annexure-C
7	Detailed muck disposal scheme shall be submitted.	Enclosed at Annexure-D
8	Justification for location of the project in forest land (countersigned by DFO) needs to be submitted and explanation needs to be provided that why RF cannot be avoided?	Enclosed At Annexure-E

9	It is not clear from the proposal that what is before and what is after proposed alignment. Details are required with KML file shall be submitted & uploaded on webportal.	KML file of all alignment options is already in Parivesh Portal. Being re-submitted for read reference please.
10	In the letter of NHAI dated 29.12.2021, addressed to DPO, it is stated that project is of rehabilitation and up gradation while the title of the project states that the proposal is for construction of road This needs clarification,	Enclosed At Annexure-F
11	If the proposal is for rehabilitation and up-gradation then please indicate when the existing road was constructed? If after 1980 and permission was not taken under FCA, then the proposal should include the area of existing road as well and in this scenario, action needs to be initiated in accordance with clause 1.21 of RCA guidelines.	
12	Administrative approval/sanction letter of the project needs to be provided. 13. Cost Benefit ratio needs to be worked out and submitted.	Project is part of the Bharatmala Pariyojana and the approval of the NHAI, Land Acquisition Committee conveyed vide MOM dated 12.01.2021 is enclosed at Annexure-G
13	Cost Benefit ratio needs to be worked out and submitted.	Already enclosed in the Parivesh portal, being re-submitted for ready reference please.

सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।


 (आर.सी.गुप्ता)
 परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि:-

- (1) श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), प्रगति भवन, भोपाल विकास प्राधिकरण, तृतीय तल, एम.पी.नगर, भोपाल की ओर आपके पत्र क्र. 2215 दिनांक 23.06.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित। (ई-मेल: pccfwl@mp.gov.in)
- (2) श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय-म.प्र., जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- (3) दल प्रमुख, मै. लॉयन इंजीनियरिंग कन्सलटेन्ट प्रा. लि., भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।